अटल बिहारी वाजपेयी जी के आर्थिक दृष्टिकोण

डॉ आर एल शर्मा

एसोसिएट प्रोफेसर अर्थशास्त्र, सीओई गवर्नमेंट कॉलेज, शिमला

अटल जी का आर्थिक चिन्तन एवम् दृष्टिकोण गव्यात्मक एवम् समकालीन सार्थक होता था। विपक्ष में रहते हुए उन्होंने सरकार की आर्थिक नीतियों का विश्लेषण समय की कसौटी पर बखूबी किया। हर एक विषय को उन्होंने सदन में तथा सदन के बाहर बहुत बेवाकी के साथ रखा। कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक बिन्दूओं पर सदन में रखे विश्लेषण उनकी आर्थिक दृष्टि को स्पष्ट करते हैं।

कृषि :– भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि को सही दिशा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता भूमि सुधार की है। देश को अनाज की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनना हमारी सबसे पहली आवश्यकता है। भूमि सुधार में सबसे महत्वपूर्ण कदम जमींदारी उन्मूलनए जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण एवम् भूमि का मालिकाना हक कृषक को देना होगा। भूमि सुधार केवल मात्र कानून बनाने से क्रियान्वित नहीं होंगें। उन पर प्रभावी आचरण बहुत आवश्यक है। विपक्ष में रहते उन्होंने इस विषय को सदन में प्रमुखता एवम् प्रभावी ढंग से उठाया और इस पर सटीक चर्चा की। उनका मानना था यदि भूमि सुधार लागू करने की ईमानदारी से इच्छा नहीं की गई तो कोई कानून सरकार की ठीक मंशा होने के बाद भी उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकेगा। भूमि सुधारों की अधिक चर्चा करने से बुराई उत्पन्न होती है, किसान के मन में एक अनिश्चितता जाग जाती है। उन्होंने भारत में कृषि उत्पादकता में कमी को भूमि सुधारों की अनिश्चितता एवम् चर्चा को एक महत्वपूर्ण कारण बताया है। भूमि सुधार में दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि भूमिहीनों को भूमि मिलें। अधिकांश हरिजन एवम् वनवासीयों के लिए भूमि परमावश्यक है जिससे एक स्वस्थ वर्ग हीन समाज का निर्माण किया जा सके। इसके लिए इन्हें केवल भूमि देने से काम नहीं होगा बल्कि उन्होंने खेती के लिए भूमि के साथ–साथ औजार एवम् अन्य आदानों को उप्लब्ध करवाने के लिए कर्ज भी देना होगा। वाजपेयी जी का मानना था कि भूमिहीनों को भूमि देकर सहकारी समिति बना कर खेती करने के साधन उप्लब्ध करवा कर मिलजुल कर खेती करने के पक्षधर भी थे। अगर कोई व्यक्तिगत रूप से खेती करना चाहता है, तो वह खेती कर सकता है, लेकिन केवल जमीन देने से समस्या हल नहीं होगी। भूमि पर अधिक चर्चा करके हमनें भूमि की भूख जगा दी है, मगर इस भूख को संतुष्ट करने के लिए हमारे पास पर्याप्त भूमि नहीं है। भूमि की मांग उसकी पूर्ति से बहुत अधिक है इसके समाधान के लिए हमें भूमि की मांग को कम कर भूमि से हटाकर लोगो को उद्योगों की ओर प्रेरित करना चाहिए। इस समस्या को वह जापान के साथ जोड़कर देखते थे और जापान का उदाहरण देकर नई व्यवस्था के पक्षधार थे। वह हर खेत को कारखाने के साथ जोड़ना चाहते थे।

खाद्य संकट :– खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में समय–समय पर सरकार की प्रकाशित समीक्षा पर संसद के अन्दर और बाहर अपने विचार से समस्या को न केवल उजागर किया बल्कि समाधान का भी प्रयास किया।

उनके अनुसार भारत में अन्न की कमी उतनी नहीं है जितनी कमी उसके अच्छे दंग से वितरण की है। देश में अनाज का वितरण समान नहीं हो पा रहा है। देश में अनाज की कमी है, लेकिन भुखमरी की हालत नहीं हैं। खाद्यानों के प्रश्न पर वाजपेयी जी संसद में सभी दलों से अनुरोध किया था कि इस विषय पर हमें आइडियॉलाजी के आधार पर विचार नहीं करना चाहिए फिर वह विचारधारा चाहे समाजवादी हो या मुक्त व्यापार की विचारधारा हो। हमें इस समस्या का समाधान पूर्वग्रह से मुक्त होकर यथार्थवादी दृष्टिकोण के किया जाना चाहिए, तभी हम आज की परिस्थिति में उसे हल कर सकेंगे। वह खाद्यानो के व्यापार में क्षेत्रीय प्रतिबन्धो के विरोध में थे। उनका मानना था कि क्षेत्रीय प्रतिबन्धों से बुनाइयां पैदा होती है। भारत में दो तरह के राज्य बन गए हैं। एक बचत करने बाले राज्य है, एक कमी वाले राज्य है। दोनों के बीच में एक दीवार सी खड़ी हो रही है। बचत वाले राज्य कमी वाले राज्य को अनाज देने के लिए तैयार नहीं है। इससे समस्या और विकराल हो सकती है। क्षेत्रीय प्रतिबन्धों के कारण कमी वाले क्षेत्रों में कृत्रिम अभाव पैदा होता है, मूल्यों में असाधारण वृद्धि होती है और इससे उपभोक्ताओं को कठिनाई होती है। इसके विपरीत क्षेत्रीय प्रतिबंधो के कारण बचत वाले राज्यों में किसान को उसके परिश्रम का मूल्य नहीं मिल पाता और वह गेहूँ चावल की बजाय व्यावसायिक फसलें बोने की ओर आकृष्ट होता है और इस प्रचलन से खाद्यानों की पूर्ति में और कमी होगी और समस्या बढ़ेगीं वह खाद्यानों की कम पूर्ति के लिए विदेशों से अनाज के आयात के पक्षधार नहीं थे। उनका अमेरिका से गेहूँ आयात के विषय में संसद में जोरदार तरीके से इसका विरोध किया था तथा उस समय की परिस्थियों को देखते हुए विदेशी गेहूँ से मुक्ति लेने के लिए–फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन फूड, हमारा नारा होना चाहिए। यह समय हमें राष्ट्रीयता का बोध करवाने का है। यह राष्ट्रीयता का भाव किसान तक पहुँचे, गाँव के हमारे कर्मचारी तक पहुँचे और इससे हम अन्न के क्षेत्र में एक अद्वितीय प्रगति करके दिखा सकते है। इसलिए अमेरिका से मजबूरी के तौर पर अनजान मांगते हुए भी हम अपना यह लक्ष्य न छोड़े, जनता की स्वभावना की भावना कम नहीं होने दें, अमेरिकी गेहूँ हमारे आत्मसम्मान के खिलाफ है।

उद्योग :– अटल जी का उद्योग के विषय पर बहुत ही सटीक विचार है। अटल जी ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी उद्योगों पर अपने विचार संसद और संसद के बाहर बहुत बेबाकी के साथ एवम् परिस्थितियों के अनुरुप रखे। उनका ये मानना था कि औद्योगीकरण करने से पहले हमें यह तय करना होगा कि हम कौन सा ढांचा लाना चाहते है। हमारे सामने कौन सा मॉडल है? रुस या अमेरिका का है, जहाँ बड़े–बड़े उद्योग छोटे उद्योगों को प्रतियोगिता में परास्त करते हुए आगे बढ़ते है, यह हम अपने देश में औद्योगीकरण का ऐसा ढांचा उत्पन्न करना चाहते, जिसका आधार छोटे, ग्रामोद्योग और कुटीर–उद्योग होंगे? उनका मानना था कि हमें दूसरे देशों का अनुसरण वहीं तक करना चाहिए जहाँ तक हमारी परिस्थितियाँ और संसाधन हमें हसकी इजाजत देते है। बड़े और छोटे उद्योगों में संगति बिबई जानी चाहिए और कांग्रेस की नीतियाँ इसमें विफल रही है। गुड़ और खंडसारी उद्योग और चीनी के उद्योगों की प्रतियोगिता में खंडसारी एवम् गुड़ के लघु उद्योग नहीं टिक सकते। इसी प्रकार खादी, हयकरघे से बने हुए कपड़े और मिल के कपड़े के उत्पादन के बीच में भी सरकार ताल–मेल नहीं बिठा सकी है। उनका मानना यह था कि छोटे उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए इन उद्योगों की मात्र सरकारी सहायता करना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए उत्पादन के क्षेत्र निर्धारित किए जाने चाहिए। उनके अनुसार छोटे उद्योगों के लिए निर्बाध रुप से उत्पादन का क्षेत्र निर्धारित हो, जैसे कपड़े की मिलों को इस बात से रोका जाना चाहिए कि वे धोतियाँ या साड़ियाँ न बनाएं और अगर वे बनती है तो उन्हें निर्यात के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है और साड़ियां बनाने का काम हथकरधा उद्योग को पूरी तरह से सौंपा जाना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि छोटे उद्योग

हमारे उत्पादन के आधार बने। अभी तक हमारी औद्योगिक नीतियों में अन्तर विरोध है। एक ओर हम छोटे उद्योगों की विकास करना चाहते है, वहीं छोटे उद्योगों को कच्चा माल नहीं मिलता है, उन्हें कच्चे माल के लिए बड़े उद्योगों पर निर्भर रहना पड़ता है। छोटे–छोटे उद्योग अभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सके है। अभी तक का औद्योगिक ढांचा हमारी आर्थिक परिस्थितियों के अनुरुप नहीं है। भरी हुई थाली बड़े उद्योगों के सामने रख दी जाती है और कुछ टुकड़े छोटे उद्योगों के सामने फेंक दिए जाते है। बड़े उद्योगों का निर्माण कर उत्पादन बढ़ाया जा सकता हैं, बढ़े हुए उत्पादन के लिए हमें बाजार हमें अपने देश में ही प्राप्त करना होगा और उसके लिए हमें हर आदमी की खरीदने की ताकत बढ़ानी होगी। यदि हम छोटे उद्योगों का विकास नहीं करेंगें, तो हम बढ़ती हुई जनसंख्या को काम नहीं दे सकते और अगर काम नहीं दे सकते तो बड़े उद्योगों द्वारा तैयार होने वाला माल हमारे लिए संकट का कारण बन जाएगा। उनका मानना था कि हमें छोटे उद्योगों का अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिससे साधनों का विकेन्द्रीकरण हो और आर्थिक समानता उत्पन्न हो।

राष्ट्रीयकरण :– उनका मानना था कि वे ऐसी अर्थव्यवस्था का समर्थन नहीं किया जा सकता जिसमें सारा नियंत्रण, सर्वाधिकार शासन के हाथ में हो और न ही पूंजीपतियों को मुनाफा कमाने की खुली छूट दी जा सकती है। वह समाजवाद के विरोध में नहीं थे परन्तु वह समाजवाद को जीवन का पूर्ण दर्शन नहीं माना। उनके अनुसार मनुष्य केवल अर्थ का दास नहीं हैं, मनुष्य काम का भी कीड़ा नहीं है। हम नैतिक और आध्यात्मिक जीवन मूल्यों की अवहेलना करके नहीं चल सकते। हमें ऐसे समाज की रचना करनी चाहिए जिसमें शासन न हो, लेकिन अनुशासन हो, जिसमें नियन्त्रण हो, संयम हो, उच्छृंखलता न हो, स्वतन्त्रता हो, जिसमें अधिकारों का संघर्ष न हो, लेकिन कर्त्तव्य की स्पर्धा हो। राष्ट्रीयकरण को समाजवाद का पर्यायवाची नहीं समझा जाना चहिए। हमारे देश में राष्ट्रीयकरण का अर्थ सरकारीकरण हो गया है। आमतौर पर यह धारणा हो गई है कि अगर कोई धंधा या वाणिज्य या व्यापार सरकार अपने हाथ में ले लेगी तो समाजवाद आ जाएगा और जनता सुखी हो जाएगी। वह किसी भी संस्था के राष्ट्रीयकरण को व्यावहारिकता की कसौटी पर कसकर देखने की आवश्यकता है। वह मिश्रित अर्थव्यवस्था में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की शब्दावली को सही नहीं मानते थे। उनके अनुसार देश में एक ही सेक्टर है, वह नेशनल सेक्टर है, राष्ट्रीय क्षेत्र है। हमें व्यक्तिगत प्रयत्नों के लिए स्थान देना होगा और सरकार को इसमें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। आर्थिक क्षेत्र में कोई भी नीति हम लोकतंत्रिक जीवन मूल्यों को दृष्टि से ओझल करके निर्धारित नहीं कर सकते। लोकतान्त्रिक मूल्यों के संरक्षण के लिए आर्थिक क्षेत्र को जितना आवश्यक हो उतना ही नियन्त्रण या नियमन करना चाहिए जितना व्यवहारिक हो। अगर कहीं पूंजी का संग्रह हो रहा है तो उसको रोकना चाहिए, लेकिन उसके लिए इस तरह का कदम जो आर्थिक विकास की गति को रुद्ध करे, सरकार के हाथ में असीम अधिकार रखे, मनोवैज्ञानिक दुष्परिणाम पैदा करे, उसकी आवश्यकता नहीं है। बैंको के राष्ट्रीयकरण पर उनकी राय थी कि अगर व्यक्तिगत बैंक अपनी पूंजी का और उस पूंजी से प्राप्त आर्थिक सत्ता का दुरुपयोग करते है, तो नियन्त्रण कठोर किया जाना चाहिए, राष्ट्रीयकरण इसका समाधान नहीं है। हमारा रिजर्व बैंक काफी नियन्त्रण के अधिकार रखता है आवश्यकता हो तो इस नियन्त्रण को और बढ़ाया जा सकता है। बैंक उद्योंग में कुछ बुराईयाँ है इसलिए सरकार बैंक उद्योग को अपने हाथ में ले ले, यह इसका समाधान नहीं है और हम इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। हम राष्ट्रीयकरण के नाम पर सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ाते जा रहें है, इसके लिए विदेशों से आर्थिक सहायता भी कर रहे है कर्जा ले रहें हैं। वह अनावश्यक विदेशी पूंजी के प्रयोग के विरूध थे, उनका मानना था कि इससे देश पर एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है।

नियोजन :– एक अविकसित और अर्थवकसित देश में आर्थिक नियोजन आवश्यकता है, जिससे अल्प साधनों को कम से कम समय में प्रयोग में लाकर अधिक से अधिक प्रयोग कर विकास किया जा सके। लोकतन्त्र के तरीकों में आर्थिक समृद्धि लाने का एक महान प्रयोग हम अपने देश में कर रहे है। इस प्रयोग की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि आर्थिक प्रगति की सफलता के लिए देश में एक मत हो। जो व्यक्ति अथवा दल आर्थिक नियोजन में विश्वास नहीं करते वे शायद वास्तविकता से दूर कल्पना के ऐसे राज्य में निवास करते है, जहां करोड़ो लोगों को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं उपलब्ध कराने का सवाल उनके सामने नहीं है। यदि हम अपने देश की आर्थिक परिस्थिति पर विचार करें तो इस बात से किसी को इनकार नहीं हो सकता कि हमें आर्थिक विकास की एक रूपरेखा निश्चित करनी पड़ेगी। हमें आर्थिक नियोजन के लिए यह विचार करना होगा कि इसका आधार क्या हो। भौतिक समृद्धि के साथ जीवन की हम और जो मान्यताएं लेकर खड़े है उनकी कहाँ तक रक्षा की जाए? हमने लोकतान्त्रात्मक तरीके से आर्थिक विकास का संकल्प किया हैं। हम विश्व का एक महान प्रयोग कर रहें है, और भारत में लोकतन्त्री तरीके से आर्थिक विकास किस सीमा तक सफल होता है, इस बात पर एशिया और अफ्रिका में लोकतन्त्र का भविष्य निर्भर करता है। नियोजन केवल केन्द्र का विषय नहीं है। जन–सहयोग के लिए हमें गांव–गांव तक जाना पड़ेगा, और इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक स्तर पर जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए जाएं, नियोजन को सर्वदलीय रुप दिया जाना चाहिए। नेशनल डवेलपमेंट काऊंसिल का स्वरुप बदला जाना चाहिए, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि यदि उसमें अपने विचार रख सकें, आर्थिक योजना को प्रभावित कर सकें, तो देश में ऐसा वातावरण बन सकता है जिससे हम निर्माण योजनाओं को दलगत राजनीति से अलग रख सकें। योजनाओं को चुनाव से अलग रखने की आवश्यकता है। इसकी उपलब्धियों को एक राष्ट्रीय उद्योग और उपलब्धि के रूप में किया जाना चाहिए। ऐसे विषय को दलगत राजनीति एवम् चुनाव से अलग रखना चाहिए। योजनाओं से यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो यह हम सब के लिए आन्नद की बात है। हमारे देश में हमें दो क्षेत्र दिखाई देते देते है। एक तो गाँव का क्षेत्र जिसमें जनसंख्या का 85% भाग रहता है और एक शहरी क्षेत्र जिसमें 15% जनसंख्या निवास करती है। हमारी योजना की सबसे बड़ी खामी यही है जिसमें हमारी अधिकतर जनसंख्या अपेक्षित है इस दृष्टि से हमारी विकास योजनाओं में एक मूलभूत दोष है। इसके माध्यम से औद्योगीकरण कर रहें है, जिससे ग्रामीण परिवेश के उद्योग धंधे प्रतियोगिता में नहीं टिक पाते और हम दोहरे संकट में फस जाते है। गांव में रोजगार प्रभावित हो रहा है गांवों से बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहें है। जिससे हमारी पूरी व्यवस्था का ताना–बाना प्रभावित हो रहा है। यह हमारी योजनाओं की असफलता है। योजनाएं व्यवहारिकता के आधार पर क्रियान्वित नहीं की गयी। आर्थिक योजना के साथ सुरक्षा का कोई मेल नहीं बिठाया गया जो हमारी देश की सुरक्षा के लिए सही नहीं है। हमारा आर्थिक नियोजन देश की सुरक्षा से अलग नहीं हो सकता इसलिए हमें समग्र नियोजन की आवश्यकता है।

अटलजी के सांसद रहते हुए प्रतिपक्ष में रह कर संसद में अपने आर्थिक चिन्तन को जिस बेवाकी और तर्क के साथ रखा, सरकार में रहते हुए उन्होंने अपने इस चिन्तन को अपने प्रधानमंत्री काल में उसे परिलक्षित करने का पूरा प्रयास किया। उनके प्रधानमंत्री रहते भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। वाजपेयी तीन बार प्रधानमंत्री रहे पहले 13 दिन तक, फिर 13 महीने तक और उसके बाद 1999 से 2004 तक का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। इस दौर में उन्होंने भारतीय राजनीति को नई दिशा दी और साबित किया की देश में गठबन्धन सरकारों को भी सफलता से चलाया जा सकता है। वाजपेयी जी का चिन्तन एवम् सभी

दलों के साथ उनका सांमज्सय से ही न केवल भारतीय राजनीति को बदला अपितु अपने आर्थिक चिंतन से देश की अर्थव्यवस्था पर भी गहरी छाप छोड़ी।

आर्थिक दृष्टि से प्रधानमंत्री के तौर पर वाजपेयी जी के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में सबसे प्रमुख भारत को जोड़ने की योजना वो सड़को के माध्यम से भारत को जोड़ना चाहते थे। उन्होंने चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना लागू की और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लागु की। उनका मानना था कि यदि हमें आर्थिक विकास की रफ्तार को तेज करना है तो हमें शहरों और गाँवों को सड़को से प्रमुखता जोड़ना होगा। सड़के विकास की जीवन रेखाएँ है।

दूसरी महत्वपूर्ण योजना को कृषि के लिए लाना चाहते थे, वे भारतीय प्रमुख नदियों को आपस में जोड़ना चाहते थे जिससे सिंचाई की सुविधा को बढ़ाया जा सकता है और कृषि की दशा को बदला जा सकता है। इस योजना को साकार रूप देने के लिए उन्होंने 2003 में सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया था।

निजीकरण एवम् विनिवेश :– वाजपेयी जी स्वतन्त्र एवम् खुली नियन्त्रित अर्थव्यवस्था के हितैषी थे। उनके कार्यकाल में आर्थिक सुधारों की रफ्तार में तेजी आई एवम् निजीकरण को बढ़ावा मिला। वाजपेयी सरकार ने 1999 में अपनी सरकार में विनिवेश मंत्रालय का पहली बार गठन किया अरूण शौरी को मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया और वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारत एल्यूमिनियम कंपनी(बाल्को), हिन्दूस्तान जिंक, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्सोशिन लिमिटेड विदेश संचार निगम जैसी सरकारी कंपनियों को बचाने की प्रक्रिया आरम्भ की गयी थी। वाजपेयी सरकार ने बीमा क्षेत्र में भी विदेशी निवेश को 26% तक की अनुमति प्रदान की, जिसे 2015 में मोदी सरकार ने बढ़ाकर 49% तक कर दिया।

बतौर प्रधानमंत्री वाजपेयी के निजीकरण को बढ़ाने वाले इस कदम की आलोचक उनकी आलोचना करते है। कुछ आलोचक इसे सरकारी क्षेत्र में नियुक्तियों में आरक्षण को खत्म करने वाला कदत बताते है। परन्तु इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ी और इससे लोगों को कम दाम पर बेहतर सुविधाएँ मिलनी शुरू हुई, वाजपेयी जी इस प्रतिस्पर्धा के पक्षधार थे वह एकाधिकार चाहे वह सरकारी हो उसके आलोचक रहें है। इन सब नितियों का प्रभाव इस क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों पर भी पड़ा, जो उनके पक्ष में नहीं था। सरकारी कर्मचारी के लिए पेंशन की स्कीम को वाजपेयी सरकार ने खत्म किया था। और एक बड़ा विरोधाभास भी उत्पन्न हुआ जिसमें जन प्रतिनिधियों को मिलने वाली पेंशन की सुविधा को नहीं बदला। इस विषय को लेकर कुछ आलोचक इनकी आलोचना करते है कि वाजपेयी जी कर्मचारी हितैषी नहीं ये वह बाजार तन्त्र के हिमायती थे।

सर्व शिक्षा अभियान :– वह शिक्षा के प्रति बहुत ही संवेदनशील थे यह उसकी परिणिती है कि भारत में 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अभियान वाजपेयी जी के कार्यकाल में 2000–2001 में आरम्भ हुआ। इस अभियान को सफल बनाने में उनका योगदान इस बात से आंका जा सकता है कि उन्होंने स्कीम को प्रमोट करने के लिए इस अभियान की थीम लाइन ''स्कूल चलें हम'' स्वयं लिखा था। वह विकास के लिए शिक्षा को सर्वोपरि मानते थे और चाहते थे कि स्वतन्त्र भारत में कोई भी बच्चा अनपढ़ न रहें। यह इस अभियान की सफलता है जहां सन् 2000 हमारे स्कूल का ड्रॉप आउटस 40 फीसदी या अब वह गिर कर 8 फीसदी तक आ गया है।

संचार क्रांति के अग्रदूत :– भारत में संचार क्रान्ति के जनक भले ही राजीव गांधी और सैम पित्रोदा रहें हो, परन्तु आम लोगों तक संचार क्रान्ति को पहुँचाने का काम वाजपेयी जी ने किया था। उन्होंने 1999 में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के एकाधिकार को खत्म कर नई टेलिकॉम नीति लागु की। जन संचार में एकाधिकार खत्म होने से लोगों को सस्ते दरों पर फोन कॉल्स का लाभ हुआ और खुली प्रतियोगिता के कारण लोगों को बेहतर सुविधाएँ प्राप्त हुई। वह अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता के पक्षधार थे। नई टेलिकॉम नीति खुली अर्थव्यवस्था की परिचायक है। यह सारी नीतियाँ वाजपेयी जी की स्वतन्त्र आर्थिक चिन्तन का पोतक है।

देश की सुरक्षा :– वाजपेयी जी का यह मानना था देश के विकास के लिए देश की सुरक्षा में आत्म निर्भरता बहुत अहम है। उनके प्रधानमंत्री काल में उन्होंने मई 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। यह परीक्षण भारत ने अपने आप को एक परमाणु सम्पन्न देशों की श्रेणी में रखने के लिए किया गया था जिससे विश्व के देश हमें एक सक्षम देश के तौर पर देखें। उनका मानना था कि शान्ति के लिए भी हमें बलवान और सक्षम होना अनिवार्य है। क्योंकि असहाय और दुर्बल को कोई भी आँखे दिखा सकता है। इस परीक्षण के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, कनाड़ा और कई पश्चिमी देशों ने हमारे ऊपर आर्थिक पाबंदी लगा दी थी लेकिन वाजपेयी की कूटनीति कौशल से 2001 तक ज्यादातर देशों ने सारी पाबंदिया हटा ली थी। इस परीक्षण से भारत परमाणु सम्पन्न देशों की श्रेणी में आ गया। वह आन्तरिक सुरक्षा को भी बहुत गंभीरता से लेते थे। देश की आर्थिक सम्पन्नता के लिए आन्तरिक शान्ति बहुत आवश्यक है। उनके प्रधानमंत्री काल में चरमपंथियों ने भारतीय संसद पर हमला किया था और अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड टॉवर पर सबसे मयावह आतंकी हमला हुआ था जिससे न केवल अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा था बल्कि एक असुरक्षा का माहौल भी उत्पन्न हुआ था। इन सबको देखते हुए आंतरिक सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी थी और वाजपेयी सरकार ने पोटा कानून बनाया, ये बेहद सख्त आतंकवाद निरोधी कानून था जिसे 1995 के टाडा कानून के मुकाबले बेहद कड़ा माना गया था। महज दो साल के दौरान वाजपेयी सरकार ने 32 संगठनों पर पोटा के तहत पाबंदी लगाई थी। वाजपेयी जी के यह निर्णय देश की सुरक्षा एवं शान्ति के लिए महत्वपूर्ण थे और इससे उनकी निर्णायक क्षमता भी परिलक्षित होती है।

अन्य आर्थिक सुधार :– भारत में भले ही जी0 एस0 टी0 जुलाई 2017 में लागू किया गया, एक सर्वमान्य कर प्रणाली का विचार 2000 में वाजपेयी जी ने रखा था। वहीं से इसकी नींव आरम्भ हुई और 2017 में यह विचार पूर्ण हुआ। यह हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की संरचना को बदलने वाला एक क्रान्तिकारी सुधार है। सन् 2003 में एक महत्वपूर्ण अधिनियम बनाया गया जिससे राजकोषीय जिम्मेवारी सुनिश्चित की गई (एफ0 आर0 वी0 एम0 एक्ट 2003) यह वाजपेयी सरकार का बजट प्रबन्धन के लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसका उद्देश्य वित्तीय अनुशासन को संस्थागत रूप देना, वितीय घाटे को कम करना व लघु आर्थिक प्रबन्धन को बढ़ावा देने के साथ एक सन्तुलित बजट का प्रबन्ध करना था। 2003 में इसके गठन के बाद से ही सरकार इस अधिनियम का पालन कर रही है। इससे राजकोषीय घाटे में कमी आई है। राजस्व घाटे में सफल घरेलू उत्पाद की 2% की कमी हुई है। वाजपेयी जी ने इस अधिनियम को साकार रुप देकर राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3% से कम करने का लक्ष्य रखा, इस व्यवस्था से हमारे घाटे की वित व्यवस्था को सुचारु किया जा सका है।

हमारे देश में आर्थिक सुधार 1991 में आरम्भ हुए और यह कार्यक्रम कांग्रेस काल में नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा किए गए। वाजपेयी जी ने इन्ही आर्थिक सुधारों को एक नई दिशा दी और एक नई सोच के साथ

इसे लागू किया। अटल बिहारी वाजपेयी को आधुनिक भारत के बड़े आर्थिक और नीति सुधारकों में माना जाता है, दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधारों के जनक कहे जाने वाले वाजपेयी ने आलोचनाओं की परवाह किए बगैर भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। अटल जी को भारतीय राजनीति में एक खास मिजाज के लिए जाना जाता था। उन पर किसी का कोई दबाव नहीं होता था और व फैसला लेने में देर नहीं करते थे। जरूरत के अनुसार उन्होंने देश की सुरक्षा एवम् विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जो बाद में मील को पत्थर साबित हुए। दिल्ली में मैट्रो योजना, विनिवेश मंत्रालय, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, सरकारी उपक्रमों को विनिवेश, नई टेलीकॅम नीति, सर्वशिक्षा अभियान और पोखरण परमाणु विस्फोट प्रमुख है।

स्पेशल इकानॉमिक जोन (सेज):– वाजपेयी जी सेज को कोस्टल क्षेत्र के लिए तैयार किया था इसके पीछे उनका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था का विकास करना था। वह सेज के माध्यम से देश में आयात–निर्यात को बढ़ावा देना चाहते थे जिससे अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता। इससे देश में काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा आती और साथ में इस क्षेत्र में बड़े व्यापक स्तर पर रोजगार उपलब्ध होता है। इस एक्ट जो अटल जी राज्यसभा में पारित नहीं करवा सके।

संदर्भ सूची

1. अटल बिहारी वाजपेयी मेरी संसदीय यात्रा : संपादक डॉ ना. सा. धटाटे, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली।
2. अटल जी की आर्थिक नीतियाँ, इकॉनोमिक टाईमज।
3. अटल जी के दस बड़े फैंसले, www.bbc.com.
4. वाजपेयी जी के आर्थिक सुधार, www.navodayatimes.com
5. Atal Bihari Vajpayee's key policies that shaped Indian Economy, www.businesstoday.in.